

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 464**

TO BE ANSWERED ON THE 06TH FEBRUARY, 2018 / MAGHA 17, 1939 (SAKA)

PROMOTION OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

464. SHRI JAGDAMBIKA PAL:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the Government has implemented any policy to promote Hindi as official language; and**
- (b) if so, the details thereof?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJIJU)**

(a) to (b): Yes Madam, Hindi is enshrined as Official Language of the Union.

The Department of Official Language takes following steps to promote the progressive use of Hindi in official work by the Government: -

- (i) An Annual Programme for implementation of Official Language in official works of the Union is issued every year by the Department of Official Language.**
- (ii) An assessment regarding compliance of Annual Programme are laid on the Table of both the Houses of Parliament in the form of Annual Assessment Report every year.**

- (iii) **Kendriya Hindi Samiti has been constituted under the Chairmanship of the Hon'ble Prime Minister.**
- (iv) **Official Language Implementation Committees are constituted in every Central Government offices.**
- (v) **Central Official Language Implementation Committee has been constituted under the Chairmanship of the Secretary (Official Language) to monitor the progress.**
- (vi) **Hindi Salahkar Samities are constituted in Ministries/Departments to provide necessary guidelines under the Chairmanship of the concerned Minister of all the Ministries.**
- (vii) **Town Official Language Implementation Committees have been formed at town level.**
- (viii) **The officers of 08 Regional Implementation Offices of Department of Official Language ensure compliance of Official Language policy through inspections etc.**

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 464

दिनांक 06.02.2018/17 माघ, 1939 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा

†464. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजभाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति लागू की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख) जी हां। हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:

- i. संघ सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है।
- ii. वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर प्रति वर्ष रखी जाती है।
- iii. माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया है।
- iv. केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।
- v. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को मॉनीटर करने के लिए सचिव(राजभाषा) की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।
- vi. हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए सलाह देने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।
- vii. नगर स्तर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। राजभाषा विभाग के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी निरीक्षणों के माध्यम से राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराते हैं।
